के पास विचाराधीन शहरी आवास योजनाओं (30-6-93 को) का ब्यौरा विवरण में है। (नीचे देखिए)

(ख) से (घ) स्कीमें हडको द्वारा मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में है, स्कीमों का मूल्यांकन और स्वीकृति एक सतत प्रक्रिया है और स्कीमें हडको के दिशा निर्देशों के अनुसार, विभिन्न अपेक्षाओं के अनुपालन तथा राज्य को किए गए वार्षिक नियतन के अनुसार धन उपलब्ध होने पर, स्वीकृत की जाती है।

विवरण

क्र० सं०	स्कीम का नाम	शहर का नाम
1.	सहकारी आवास स्कीम	कटनी
2.	सहकारी आवास स्कीम	भोपाल
3.	सिरगिट्टी आवास स्कीम	सिरगिट्टी
4.	सनवर में पीडी एवं एच एस स्कीम	सनवर (इंदौर)
5.	कटोरा तालाब में एच आई जी एच एस	रायपुर
6.	वाणि०/रिहा० स्कीम-26	जबलपुर
7.	डेव सुगर फैक्टरी स्थल	सिहोर
8.	पन्ना रोड में सी एच एस	छतरपुर
9.	घरन टीकरी के पास	छिंदवाड़ा
10.	चिकली में सी एच एस	राजनंद गांव
11.	आर के नगर में ई डब्ल्यू एस/एल आई जी स्कीम	बिलासपुर
12.	छतरपुर में आर एस	छतरपुर
13.	विवेकानंद नगर	होशंगाबाद
14.	इंदिरा नगर में रिहा० स्कीम	रतलाम
15.	हाउसिंग पार्क बेरासिया	भोपाल
16.	वाणि०/रिहा० स्कीम रीवा	रीवा
17.	होशंगाबाद में वाणिज० स्कीम	होशंगाबाद
18.	वाणि०/आवास ओबेदुल्लागंज	ओबेदुल्लागंज
19.	रिहा०/वाणि० स्कीम	बुरहानपुर
20.	दांतेवाड़ा में आर एच एस	दांतेवाड़ा
21.	सांतरी · ढलैया में वाणिज्यिक स्कीम	छतरपुर
22.	नेहरू नगर फेज-II में सी एच एस	भोपाल
23.	सी एच एस शहडोल	शहडोल
24.	एच आई जी एच एस महाराजपुर	महाराजपुर
25.	एच एस कोटरा तालाब	रायपुर
26.	सी एच एस कटोरा तालाब	रायपुर
27.	विदिशा में एन ए वाई	विदिशा
28.	नर्मदानगर ई डब्ल्यू एस/एल आई जी आवास स्कीम	बिलासपुर
29.	एन० पी० नगर, एच आई जी आवास स्कीम	कोरबा
30.	उतायली में पी डी स्कीम	सतना
31.	90 मकानों के निर्माण हेतु आर एच एस	भोपाल
32.	कचरोड में सी एच एस	कचरोद
33.	डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जीनगर में सी एच एस	इटारसी
34.	रतलाम में आर एच एस	रतलाम
35.	आर एच एस स्कीम	सीधी

संक्षेपण : सी एच एस : वाणिज्यिक आवास स्कीम
एच एस : आवास स्कीम
पी डी स्कीम : पटरीवासी रैन बसेरा स्कीम
आर एच एस : किराया आवास स्कीम
सी ओ एच एस : वाणिज्यिक आवास स्कीम

Encroachment of Public Land in Delhi

2387. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE : SHRIMATI VEENA VERMA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the number of coplaints of encroachments of public lands in Delhi, particularly in West Delhi received through Members of Parliament;

(b) how many of them have been attended and action taken thereon;

(c) how many complaints are still remain unattended and the reasons for the delay for removing the encroachments; and

(d) the number of cases where the encroachments have been made and are persisting due to collusion of revenue and other departmental personnel with the encroachers?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY

OP WATER RESOURCES (SHRI P, K. THUNGON): (a) to (c) According to Municipal Corporation of Delhi four complaints were received from Members of Parliament so far as west Delhi is concerned. Encroachments in three cases have been removed and one case is under process,

The number of such complaints as reported to have been received by Delhi Development Authority and Deputy Commiuioner, Delhi are 9 and 1 retpectively, They have stated that these complaints have been attended to.

(d) Does notarise in view of reply to parts (a) and (e) above.

Memorial for Former Prime Minister Shri Rajiv Gandhi

2388. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will be the Minister of URBAN DEVELOPMENT
be pleased to state:

(a) whether a memorial to former Prime Minister Shri Rajiv Gandhi, Rajiv Gandhi Kendra is proposed to be set up at Sriperumbudur in Tamil Nadu, where he was assassinated on May 21, 1991;

(b) if so, what are the main features of the proposed memorial; and

(c) the estimated cost thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The details have not yet been flnaiised.

Shortage of Drinking Water In Shimla

2389. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of URBAN DEVELOP MENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there was acute nonage of drinking water in Shimla and in six other districts of Himachal Pradesh;

(b) if so, me reasons therefor;

(c) the effect on the tourist traffic to the state:

(d) whether it is also a fact that no preventive/precautionary measures were taken in view of its recurring nature; and

(e) if not, what measure have been taken to ensure uninterrupted water supply?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) to (e) The information Is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

दक्षिणी मोतीबाग में अतिक्रमण

2390. श्री चतुरानन मिश्र :
श्री गया सिंह :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि शाहनी मार्किट, दक्षिणी मोती बाग, नई दिल्ली में प्रतिदिन नए अतिक्रमण बढ़ते चले जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि इन अतिक्रमणों की वजह से फुटपाथ और सड़क के एक्सों और सड़कों का गुजरना दूभर हो गया है;

(ग) क्या 18 जून, 1993 को उक्त मार्किट के कुछ मीट मछली विक्रेताओं की दुकानें दिल्ली नगर निगम द्वारा तोड़ दी गई थी;

(घ) क्या दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों को दुकानें तोड़ते समय यह ज्ञात नहीं था कि जिन दुकानों को वे तोड़ रहे हैं, वे काफी पुरानी दुकानें हैं और उनके आवंटन प्रलेखों की मूल प्रतियां दिल्ली नगर निगम के पास जमा हैं; और क्या दुकानों का तोड़ा जाना पक्षपात पूर्ण था और मीट मछली विक्रेताओं से द्वेष का परिणाम था; और

(ङ) नए अतिक्रमणों और बाकी बची पक्की दुकानों को नहीं तोड़े जाने के कारणों का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि शाहनी मार्किट, शाहद मोतीबाग में कोई नये पक्के अतिक्रमण नहीं हुए हैं । फिर भी वहां रेहड़ी और फेरीवालों आदि द्वारा किए गए अस्थाई अतिक्रमण को हटाना गिराना एक सतत प्रक्रिया है ।

(ग) और (घ) दिल्ली नगर निगम के अनुसार शाहनी मार्किट में सड़काधारी आवंटन के नियमों व विनियमनों के उल्लंघन में बनाए गए ढांचों को गिरा दिया गया था और अन्य अस्थाई अतिक्रमणों को 18-6-93 को हटा दिया गया था । प्राप्त सूचना के अनुसार हटाने की कार्रवाई को, केवल मांस एवं मछली बेचने वालों तक ही सीमित नहीं रखा गया था । अतः मांस और मछली बेचने वालों के साथ भेदभाव और दुश्मनी बरते जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) भाग (ग) और (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।